उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–18 / 2013–14

राज्य बनाम जुगल चमार।

आदेश

24/9/16

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1243 / रा0 दिनांक 02 / 08 / 2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–18 / 2013–14 राज्य बनाम जुगल चमार, मौजा–खांड़ी, अंचल–चन्दवारा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–05 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार मौजा–खांड़ी, खाता संख्या–203 / 05, प्लॉट नं0–00, रकवा–1.10 एकड़ भूमि की जमाबन्दी हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी II के पृष्ट संख्या 129 पर जुगल चमार के नाम से दर्ज है, जो बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम की गयी है। पंजी II में प्राधिकार कॉलम में बन्दोबस्ती वाद दर्ज नहीं है।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा के द्वारा अभिलेख के आदेश फलक संख्या 03 में पारित आदेश में अंकित है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पंजी II की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी II के प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है और न दिनांक अंकित है। इस संबंध में उनके द्वारा जमाबन्दी कायम का कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पक्षकारों के बयान अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं राजस्व कर्मचारी व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त जमाबन्दी अवैध है।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 06–08–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित छः तिथियों को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगातार लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय की मॉग की गयी और लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है तो आदेश हेतु रखा जा सकता है। पंजी–II में जमाबन्दीधारक के नाम से कायम जमाबन्दी में सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक और बन्दोबस्ती वाद संख्या का उल्लेख नहीं होने के कारण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से सहमत होते हुए अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में मौजा–खांड़ी, खाता संख्या–203 / 05, प्लॉट नं0–00, रकवा–1.10 एकड़ पर जुगल चमार पिता–सुकर चमार, के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land :- मौजा–खांड़ी, खाता संख्या–203 / 05, प्लॉट नं0–00, रकवा–1.10एकड़।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा। 24/9

उपायुक्त 24/9

कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय

सत्यमेव जयते